न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 319/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रूकमा देवी पत्नि केसाराम 2. मांगीलाल पुत्र केसाराम जातियान सीरवी निवासीगण माडपूरिया तह0 रोहट जिला पाली (राज0)		1. नेमाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी निवासी इन्द्रोकों की ढाणी तह0 रोहट जिला पाली। 2. सुराराम पुत्र भगाराम सीरवी निवासी इन्द्रोको की ढाणी तह0 रोहट जिला पाली (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अर्जूनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 09.12.2020

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दिनांक 27.07.2018 को राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा नई ढाणी, प0ह0 सरादारसमंद तह0 सोजत के ख0न0 458, 458/1, 458/2, 458/3 की जोत में से नया मार्ग हमारी खातेदारी खसरा संख्या 457 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 3.6800 हैक्टर में आवागमन हेतु 20 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 458, 458/1, 458/2, 458/3 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। जमाबंदी में खसरा संख्या 458, 458/1, 458/2, 458/3 अलग अलग दर्ज हैं परन्तु ट्रैस नक्शा में अलग अलग तरमीम नहीं होने से सभी खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा नई ढाणी पटवार हल्का सरदारसमंद के खसरा संख्या 458 रकबा 1.9200 हैक्टर, ख0न0 458/1 रकबा 0.3200 हैक्टर, ख0न0 458/2 रकबा 0.3200 हैक्टर, ख0न0 458/3 रकबा 0.3200 हैक्टर में से 20 फुट चौडा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया है, जो रास्ता प्रार्थीगण की खसराजात भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 3.6800 हैक्टर तक दिलाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री भुण्डाराम चौधरी ने वकालतनामा व जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 20.09.2018 को पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रा0 पत्र दिनांक 20.09.2018 को पेश कर अंकित किया है कि सरहद मौजा नई ढाणी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

में खसरा नंबर 458 रकबा 2.88 हैक्टर की भूमि आई हुई है। जिसमें से नेमाराम पुत्र कालुराम का 1/2 व सूराराम पुत्र भगाराम का 1/2 हिस्सा भूमि आती थी, जो माफिक बंटवाडा के म्यूटेशन क्रमांक 146 दिनांक 07.01.2009 के अनुसार बंटवाडा हुआ उक्त बंटवाडा में मुझ नेमाराम पुत्र कालुराम सीरवी को खसरा नंबर 458 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि तथा सूराराम पुत्र श्री भगाराम कौम सीरवी को खसरा नंबर 417 तथा खसरा नंबर 458/1 रकबा 0.9600 हैक्टर भूमि मुझ सुराराम के नाम दर्ज हुई, जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 में दर्ज है। उक्त बंटवाडा के पश्चात् मुझ नेमाराम नजरी नक्शा में ABCD स्थान पर काबिज व काश्त था। मुझ सुराराम का मार्क DEJC स्थान पर काबिज काश्त था। तत्पश्चात् मुझ सुराराम ने अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 458/1 रकबा 0.9600 हैक्टर भूमि मार्क DEJC में से पन्नाराम पुत्र भगाराम जाति सीरवी को खसरा नंबर 458/3 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि मार्क HCJI तथा मानाराम पुत्र भगाराम कौम सीरवी को खसरा नंबर 458/2 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि मार्क HIFG तथा मुझ सुराराम के हक में खसरा नंबर 458/1 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि मार्क DGFE रखी गई, जिसका बेचाननामा पंजीयन सुदा है। तत्पश्चात् म्यूटेशन संख्या 152 दिनांक 05.10.2009 को भरा गया। मानाराम पुत्र भगाराम ने उक्त म्यूटेशन के पश्चात् अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 458/2 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि मार्क HIFG भूमि लखाराम पुत्र भुराराम को बेचान की जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2064–67 में दर्ज है, ब से नेमाराम पुत्र कालुराम मार्क ABCD पर, सुराराम पुत्र भगाराम मार्क पर DGFE पर, लखाराम पुत्र भुराराम मार्क GHIF पर एवं पन्नालाल पुत्र भगाराम मार्क HCJI पर काबिज है। हमारी उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता उत्तरी व दक्षिणी दिशा में आया हुआ है। जिसमें हमारे तरफ से कभी भी प्रार्थी को आने जाने हेतु नही रोका गया है, तथा उक्त रास्ता हम देने के लिए तैयार है, जिसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 का निर्णित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रा0 पत्र दिनांक 17.09.2019 को अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का का पेश किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत 251ए आर0टी0एक्ट0 1955 का पेश किया है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 नेमाराम, 2. सूराराम व 3. लखाराम तथा 4. पन्नालाल को अप्रार्थीगण पक्षकारान करने की सूरत में प्रार्थीगण ने तमाम अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश पर अर्थात् मौका एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को तहरीर भेजकर आदेश दिए जाने पर भी पटवारी हल्का ख0न0 458, 458/1, 458/2, 458/3 से सम्बन्धित तरमीम की गई। मौके पर ख0न0 458, 458/1 ही विवादित है तथा प्रार्थी ने उक्त खसरों में से ही रास्ते की मांग की है। पटवारी हल्का द्वारा भी मौका रिपोर्ट में ख0न0 458/1 व 458 में ही रास्ता दर्शित किया है। ख0न0 458/2 व 458/3 न तो विवादित है, न ही उक्त भूमि में से रास्ते का कोई अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 1955 में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को हटाया जावें तथा प्रा0 पत्र में ख0न0 458/2 व 458/3 विवादित नहीं होने से से प्रार्थना पत्र के प्रकरण से हटाया जाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

दिनांक 17.09.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 अनुपस्थित अर्थात् बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहे है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गई। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/रीडर/19/308 दिनांक 01.04.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 28.03.2019 मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को (Struck Out) हटाये जाने तथा प्रा0 पत्र में वर्णित विवादित भूमि ख0न0 .458/2 तथा ख0न0 458/3 नहीं होने से प्रा0 पत्र से हटाये (Struck Out) जाने उक्त ख0न0 हटाया जाकर संशोधित प्रा0 पत्र पेश करने की अनुमति दी दी गई। प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं नियम 06 आदेश 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया।

दिनांक 17.09.2019 को अधिवक्ता प्रार्थीगण ने संशोधित प्रा0 पत्र पेश किया है कि सरहद मौजा नई ढाणी, प0ह0 सरादारसमंद तह0 सोजत के ख0न0 458, 458/1, की जोत में से नया मार्ग उनकी खातेदारी कृषि जोत खसरा संख्या 457 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 3.6800 हैक्टर में आवागमन हेतु 20 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 458, 458/1 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार पुनः संशोधित प्रा0 पत्र मय शपथ-पत्रादि पेश कर सरहद मौजा नई ढाणी पटवार हल्का सरदारसमंद के खसरा नंबर 458 रकबा 1.9200 हैक्टर, ख0नं0 458/1 रकबा 0.3200 हैक्टर में से 20 फुट चौडा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया है, जो रास्ता प्रार्थीगण की खसराजात भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 3.6800 हैक्टर तक दिलाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। श्री भुण्डाराम अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा दिनांक 09.12.2019 को प्रस्तुत किया, सा0मि0 हो। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करना चाहने से जबाब प्रा0 पत्र बंद किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार, सोजत को पत्र लिखा जाकर वर्तमान मौका जांच व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सोजन ने अपने पत्रांक/रीडर/2019/308 दिनांक 01.04.2019 द्वारा मौका स्थिति की रिपोर्ट में अंकित किया, कि ग्राम नई ढाणी के ख0न0 457 रकबा 3.6800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थीया रूकमा देवी पत्नि केसाराम, मांगीलाल पुत्र केसाराम कौम सीरवी सा0 माडपुरिया तह0 रोहट ने अपने ख0नं0 457 में आने जाने हेतु अर्थात् खुद की जोत में पहुँचने के लिए ख0नं0 458, 458/1, 458/2, 458/3 में नये रास्ता हेतु मांग की गई है। उक्त रास्ता हेतु नीचे नजरी नक्शे अनुसार मौके पर जो वर्तमान में कदमी रास्ता चल रहा है यथा राजस्व रेकर्ड नजरी नक्शे अनुसार ख0न0 457 रकबा 3.6800 हैक्टर भूमि जो प्रार्थीया रूकमा देवी पत्नि केसाराम, मांगीलाल पुत्र केसाराम जाति सीरवी, निवासी माडपूरिया तह0 रोहट के नाम दर्ज है। उक्त ख0नं0 457 में पहुँचने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता उपलब्ध है। परन्तु मौके पर उक्त ख0न0 457 में जाने हेतु ख0न0 458 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बा0अ0 जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

में नेमाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी सा0 इन्द्रोका की ढाणी तह0 रोहट के नाम व ख0न0 458/1 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म बा0अ0 जो खातेदार सुराराम पुत्र भगाराम कौम सीरवी, नि0 इन्द्रोकों की ढाणी के नाम दर्ज मे से होकर कदीमी रास्ता मौके पर है। जहॉ से प्रार्थी के रास्ता उपलब्ध करवाना है। उक्त रास्ते की नाप क्रमशः ख0न0 458 रकबा 1.9200 किस्म बा0अ0 में से भुजा ए,बी जो नजरी नक्शे में मौके के अनुसार दर्शाये गई है, की लम्बाई 156 मीटर है। ख0न0 458 में से जो रास्ता उपलब्ध का क्षेत्रफल 156X6 वर्गमीटर = 936 वर्गमीटर है अर्थात् नजरी नक्शें में रास्ता ABEF का क्षेत्रफल 0.0936 हैक्टर है। ख0न0 458/1 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से भुजा BC जो नजरी नक्शें में मौके के अनुसार दर्शाये गई है, की लम्बाई 128 मीटर है अर्थात् रास्ता BCDE का क्षेत्रफल 128x6 = 768 वर्गमीटर है। इस प्रकार तैयार सुदा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट मौके पर सीमांकन करके राजस्व नक्शे के अनुरूप तैयार की गई, सा0मि0 है। सब रजिस्ट्रार सोजत ने प्रस्तावित प्रार्थित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 174150 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है, पत्रांक/पंजीयक/2020/416 दिनांक 13.11.2020 संलग्न पत्रावली रेकर्ड पर है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त कियाकि माफिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत एवं संशोधित प्रा0 पत्र विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ख0न0 457 में कृषि जोत कार्य आवागमन हेतु ख0न0 458 एवं 458/1 की भूमि में से रास्ते की भूमि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना तथा मौका रिपोर्ट (फर्द मौका दिनांक 18.03.2019) तथा राजस्व रेकर्ड का अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूॅच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 458 तथा 458/1 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण मय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा मौजा नई ढाणी प0ह0 सरदारसमंद ख0न0 458 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बा0अ0 में से नजरी नक्शानुसार लम्बाई **156 मीटर x चौड़ाई 06 मीटर = 936 वर्ग मीटर** अर्थात **(0.0936 हैक्टर ए, बी, ई, एफ दर्शित भूमि x असिंचित डी0एल0सी0 दर 174150/— प्रति हैक्टर x 2 गुणा = 32601 रूपये) तथा ख0न0 458/1 रकबा 0.3200 हैक्टर बा0अ0 में से नजरी नक्शानुसार लम्बाई 128 मीटर x चौड़ाई 06 मीटर = 0.0768 हैक्टर बी, सी, डी, ई दर्शित भूमि x डी0एल0सी0 दर 174150/— प्रति हैक्टर x 2 गुणा = 26749 रूपये)** भूमि प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण जरिए तहसीलदार, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

भुगतान प्रदत करवाया जाकर ख0नं0 457 में आवागमन के रास्ते प्रयोजनार्थ भूमि दिलवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा नई ढाणी पटवार हल्का सरदारसमंद, तह0 सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 457 रकबा 3.6800 हैक्टर बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि, 0.1704 हैक्टर की दोगुणा 174150/–प्रति हैक्टर से 59350/–रू0 उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0 सं0	ख0नं0	रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि
1	458	1.9200	नेमाराम पुत्र कालूराम जाति सीरवी, नि0 माडपुरिया तह0 रोहट	0.0936 (6X156)	32601/–
2	458/1	0.3200	सूराराम पुत्र भगाराम कौम सीरवी सा0 माडपुरिया तह0 रोहट	0.0768 (6X128)	26749 /–
			योगः–	0.1704	59350/–

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner